

कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

पत्र सं-09 / उपादान बीज अनु०-०९/२०१० ५९९२ / कृ० पटना, दिनांक २९-११-२०१६

प्रेषक,

हिमांशु कुमार राय, भा० प्र० से०
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में,

मेसर्स माली एग्रीटेक प्राइलि०,
द्वारा-गुप्ता ट्रेडर्स, अंकेश भवन,
बड़ी पहाड़ी, पटना।

विषय : अनुज्ञाप्ति रद्द करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि आपके प्रतिष्ठान के राज्यस्तरीय बीज अनुज्ञाप्ति संख्या-193/2010 वैधता तिथि 08.06.2013 के वैधता समाप्ति तिथि तक अनुज्ञाप्ति नवीकरण संबंधी कागजात एवं शुल्क अद्यतन उपलब्ध नहीं कराया गया है। इसलिए निर्धारित अवधि तक बीज अनुज्ञाप्ति नवीकरण का आवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण आपके अनुज्ञाप्ति संख्या-193/2010 को वैधता अवधि समाप्ति की तिथि से रद्द किया जाता है।

विश्वासभाजन
Vishwas Bajan
25.11.16
(हिमांशु कुमार राय)
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :- ५९९२

/ कृ०, पटना, दिनांक २९-११-२०१६

प्रतिलिपि:- १. संयुक्त निदेशक (शाष्य) उपादान/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शाष्य)/उप निदेशक (शाष्य) बीज/ उप निदेशक (शाष्य) मुख्यालय/उप निदेशक (शाष्य) फसल/उप निदेशक (शाष्य) तेलहन/उप निदेशक (शाष्य) बीज विश्लेषण/उप निदेशक (शाष्य) बीज निरीक्षण, बिहार, पटना/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/सभी सहायक निदेशक, उद्यान (कृषि स्नातक)/ सभी बीज निरीक्षक को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेश दिया जाता है कि यदि उक्त प्रतिष्ठान द्वारा राज्य अन्तर्गत बीज का व्यवसाय किया जाय तो अवैध व्यापार मानते हुए बीज नियंत्रण आदेश 1983 के आलोक में कार्रवाई की जाय।

✓ 2. आई०२टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड एवं ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

Vishwas Bajan
25.11.16
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।